(80)

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :— उमर दीन खान
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 5/2021

अभिषेक बंसल पुत्र सुनिल बंसल, जाति अग्रवाल, निवासी मकान नं0 2030/4, रामपुरा मौहल्ला, हिसार, जिला हिसार (हरियाणा) जरिये मुख्त्यार सुरेश कुमार मील पुत्र विजेन्द्र सिंह, जाति जाट, निवासी भोजासर, तहसील व जिला झुंझुनूं।

—— प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक, झुंझुनूं।

—— अप्रार्थीगण

— — —

प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी 4200 लीटर डीजल (21 ड्रम) प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 227/20 पुलिस थाना सदर झुंझुनूं अपराध अ0धारा 3/7 ई0सी0 एक्ट

— — —

उपस्थित :—

1 एडवोकट श्री बाबूलाल मील — प्रार्थी बैंक की ओर से
2 श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक — राज्य सरकार की ओर से

आदेश

दिनांक 15.02.2021

माननीय न्यायालय सेशन न्यायाधीश, झुंझुनूं द्वारा फौजदारी अपील सं0 85/2020 मे पारित निर्णय दिनांक 06.01.2021 के साथ इस न्यायालय की पत्रावली सं0 92/2020 प्राप्त हुई। माननीय न्यायालय सेशन न्यायाधीश, झुंझुनूं ने प्रकरण मे अपने निर्णय दिनांक 06.01.21 द्वारा इस न्यायालय के प्रकरण सं0 92/2020 मे पारित निर्णय दिनांक 23.11.2020 को अपास्त कर आदेश दिये है कि प्रकरण मे आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान मे रखते हुए पुनः विधि सम्मत अदेश पारित करें। प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वाहन सं0 एन एल 01 क्यू 8315 का पंजीकृत स्वामी है। उक्त वाहन एफ0आई0आर0 नं0 227/20 मे पुलिस थाना सदर झुंझुनू मे जप्त है तथा प्रार्थी का डीजल 4200 लीटर (21 ड्रम) भी जप्त है। पुलिस थाना सदर झुंझुनूं मे प्रार्थी के उक्त वाहन व डीजल 4200 लीटर को गलत व गैर कानूनी रूप से जप्त किये है। प्रार्थी के वाहन (दस टैंक लोरी) झुंझुनूं एल पी जी प्लान्ट मे गैस परिवहन हेतु लगा रखे है जिसके टेण्डर नं0 एलपीजी/डीयुएलके/टीटी/आईओसी/आरजे/2018 वेण्डर कोड 11044330, 11044356 दिनांक 31.08.2023 तक वैध है। दिनांक 12.10.2020 को प्रार्थी का वाहन नं0 एन एल 01 क्यू 8315 मे 4200 लीटर डीजल लेकर झुंझुनूं एलपीजी प्लान्ट मे 7 टेंकर (वाहन) जिनकी लिस्ट सलंग्न है मे प्रति

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

गाडी 600 लीटर भरने के लिए लेकर आया था। प्रार्थी की कम्पनी डेजी मोटर्स प्राईवेट लिमिटेड हिसार मे पम्प है कोरोना माहमारी की वजह से बिजनैस वित्तीय संकट से प्रभावित हुआ तथा गैस सेवा बाधित ना हो और गैस की आपूर्ति बिना देरी के सुचारू रूप से चलती रहे व आमजन को रसोई गैस से संबंधित कोई परेशानी ना हो इसलिए प्रार्थी ने अपने स्वयं के पेट्रोल पम्प से हिसार से झुंझुनूं अपने वाहन के लिए डीजल परिवहन किया ताकि प्रार्थी के वाहन बिना डीजल खडे ना रहे। प्रार्थी ने कोई अपराध ईसी एक्ट का नही किया है। प्रार्थी उक्त डीजल बिक्री के लिए नही लाया था । उक्त वाहन के चालक ने थानाधिकारी पुलिस थाना सदर झुंझुनूं को उक्त डीजल प्रार्थी के वाहनों के लिए लाने के सम्पूर्ण जानकारी देदी थी परन्तु पुलिस थाना सदर झुंझुनूं ने गलत व गैर कानूनी रूप से प्रार्थी का उक्त वाहन व डीजल जप्त किया है। पुलिस थाना सदर झुंझुनूं ने अपराध अ0 धारा 3/7 ईसी एक्ट का झूठा एवं बेबुनियाद मुकदमा बनाया है जबकि उक्त प्रकरण धारा 3/7 ई0सी0 एक्ट का नही बनता है। प्रार्थी का उक्त वाहन थाना परिसर मे खुले आसमान के नीचे खडा है जो निरन्तर खराब हो रहा है तथा डीजल खराब हो रहा है इसलिए उक्त वाहन व 4200 लीटर डीजल प्रार्थी को दिया जाना न्यायोचित है। उक्त वाहन मे जो डीजल 4200 लीटर लाया गया है वह बिक्री के उद्देश्य से नही लाया गया है। प्रार्थी ने कोई कानून का उल्लघंन नही किया है। प्रार्थी को उक्त वाहन व 4200 लीटर डीजल सुपुर्दगी पर दिया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी सेवामे पेशकर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाहन नं0 एन एल 01 क्यू 8315 व 4200 लीटर डीजल (21 ड्रम) सुपुर्दगी पर दिये जाने का आदेश दिया जावे।

प्रकरण मे वाहन सं0 एन एल 01 क्यू 8315 की अन्तरिम सपुर्दगी के इस न्यायालय के आदेश निर्णय दिनांक 23.11.2020 मे दिये जा चुके है। प्रकरण मे जप्तशुदा डीजल 4200 लीटर (21 ड्रम) के क्रम मे बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये कथन किया कि प्रार्थी वाहन सं0 एन एल 01 क्यू 8315 का पंजीकृत स्वामी है उक्त वाहन इस न्यायालय के आदेश निर्णय दिनांक 23.11.2020 द्वारा अन्तरिम सपुर्दगी पर सौंपा जा चुका है। प्रकरण मे जप्तशुदा डीजल 4200 लीटर (21 ड्रम) प्रार्थी अपने वाहन मे डालने के लिए लाया था। प्रार्थी के वाहन (दस टैंक लोरी) झुंझुनूं एल पी जी प्लान्ट मे, गैस परिवहन हेतु लगा रखे है जिसके टेण्डर नम्बर एलपीजी/डीयुएलके /टीटी/आईओसी/आरजे/2018 वेण्डर कोड 11044330, 11044356 दिनांक 31.08. 2023 तक वैध है। दिनांक 12.10.2020 को प्रार्थी का वाहन नं0 एन एल 01 क्यू 8315 मे 4200 लीटर डीजल लेकर झुंझुनूं एलपीजी प्लान्ट मे 7 टेंकर (वाहन) मे प्रति गाडी 600 लीटर भरने के लिए लेकर आया था। प्रार्थी का खुद का हिसार मे पेट्रोल पम्प है, वहीं से प्रार्थी अपने वाहनों मे डालने के लिए उक्त डीजल लेकर आया था। लोकडाउन मे पेट्रोल पम्पों पर पर्याप्त मात्रा मे डीजल उपलब्ध नही था तथा गैस आपूर्ति बाधित न हो इसके लिए प्रार्थी अपने स्वयं के वाहनों के लिए उक्त डीजल हिसार से लेकर आया था। प्रार्थी ने कोई अपराध ईसी एक्ट का नही किया है। प्रार्थी उक्त डीजल बिक्री के लिए नही लाया था । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी स्वीकार फरमाया जाकर 4200 लीटर डीजल (21 ड्रम) सुपुर्दगी पर दिये जाने का आदेश दिया जावे।

राजकीय अभिभाषक ने वकील प्रार्थी के कथनो का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थी का वाहन एवं डीजल 4200 लीटर (21 ड्रम) एफ0आई0आर0 नं0 227/20 मे पुलिस थाना सदर झुंझुनूं मे जप्त हुआ था। प्रार्थी द्वारा वाहन नं0 एन एल 01 क्यू 8315 मे 4200 लीटर डीजल का बिक्री के उद्देश्य से अवैध परिवहन किया है जो ई0सी0 एक्ट का उल्लघंन है। अतः प्रार्थी का सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

(82)

हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र व उक्त आवेदन पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। वकील पक्षकारान् की बहस का श्रवण भी किया। प्रकरण के अवलोकन से निम्न तथ्य उजागर हुये है यथा :–

1. प्रकरण में थानाधिकारी पुलिस थाना सदर झुंझुनू द्वारा प्रार्थी के वाहन संख्या NL 01 Q 8315 में भर लाये गये डीजल के 21 ड्रम यानि 4200 लीटर को बिना किसी अनुज्ञा के हरियाणा से राजस्थान में लाने पर जप्त किया गया था। उक्त के संबंध में प्रार्थी का मुख्य तर्क यह रहा है कि जप्त 4200 लीटर डीजल प्रार्थी कोरोना महामारी के दौरान लगे लॉकडाउन में अपने डेजी मोटर्स प्राईवेट लिमिटेड हिसार पम्प से स्वयं के निजी वाहनों हेतु जो एल.पी.जी. प्लान्ट में गैस परिवहन की बाबत लगा रखे है, उनमें भरने के लिए लाया गया था। जहां तक सवाल लॉकडाउन में राजस्थान में डीजल, पेट्रोल की उपलब्धता का है तो राजस्थान सरकार द्वारा लॉकडाउन में नागरिको को यातायात में किसी प्रकार की परेशानी ना हो इस हेतु डीजल, पेट्रोल सप्लाई के वाहनों पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई थी, जिससे लॉकडाउन के दौरान भी जिले में डीजल, पेट्रोल की कमी नहीं रही। साथ ही प्रार्थी का वाहन थानाधिकारी सदर झुंझुनू द्वारा प्रार्थी का डीजल तथा वाहन दिनांक 12.10.2020 को जप्त किया गया था, उक्त में समय राजस्थान सरकार द्वारा लगभग निजी सेवाऐं प्रारम्भ कर दी थी।
2. प्रार्थी के इस कथन को स्वीकार भी कर लिया जावें की उसके द्वारा लाया गया डीजल उसके निजी वाहनों के लिए था, तो भी उसने ऐसा करने के लिए किसी समक्ष अधिकारी से अनुमती प्राप्त नहीं की और न ही प्रार्थी ने अपने पेट्रोल पम्प हिसार से लाये जा रहे उक्त 4200 लीटर डीजल का कोई बिल भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। पेट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भंडारण और प्रदाय का रखरखाव) आदेश, 1999 के अनुसार 'फुटकर विक्रय' से एक समय में किसी एक ग्राहक को 2500 लीटर से अधिक पेट्रोलियम उत्पादों का विक्रय नहीं किया जा सकता है। साथ ही थानाधिकारी पुलिस थाना सदर झुंझुनू द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में अंकित किया है कि जप्ती के दौरान डीजल बेचने के लिए, हिसार से झुंझुनू लेकर आना बताया। इससे साफ है कि प्रार्थी का हरियाणा से राजस्थान में लाया गया उक्त जप्त शुदा 4200 लीटर डीजल टैक्स की चोरी तथा विक्रय करने के उद्देश्य से लाया गया था।
3. डीजल में छीजत नहीं हो तथा खुर्द बुर्द से बचाने के लिये इस डीजल का अंतरिम निस्तारण किया जाना उचित समझते है। उक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर हम प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर जप्त किये गये डीजल को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए(2)के तहत अधिहरण किया जाना न्यायोचित समझते है।
4. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी झुंझुनू को निर्देशित किया जाता है कि वह जप्त डीजल 4200 लीटर (21 ड्रम) का आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के क्लॉज 2 के बिन्दु 1 के तहत नियंत्रित कीमत पर विक्रय करवाकर राशि को राजकोष में जमा करें जो जमा राशि एफ.आई.आर. 0227/2020(आपराधिक प्रकरण) के निर्णय के अध्ययधीन रहेगी। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी झुंझुनू तथा थानाधिकारी पुलिस थाना सदर झुंझुनू को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 15.02.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15/02/21

(उमर दीन खान)
जिला कलेक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं

जिला कलेक्टर झुंझुनूं